

## राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

### वितरण लायब्रेरी

वर्ष अप्रैल से मार्च ----- के लिए संग्रहालय वितरण  
लायब्रेरी की नई सदस्यता हेतु आवेदन

1. संगठन/संघ/क्लब का नाम  
व पूरा पता (कृपया राज्य व जिला दर्शाएं) :
2. सबसे नजदीकी रेल्वे स्टेशन :
3. लक्ष्य व उद्देश्य (कृपया अपनी  
परिचायिका/संविधान/नियम  
व विनियम भेजें) :
4. संगठन/संघ का प्रकार  
क्या एक फिल्म संघ, शैक्षिक/शोध संस्थान,  
सांस्कृतिक संगठन, सरकारी विभाग, अन्य हैं। :
5. क्या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत  
लाभ निरपेक्ष सांस्कृतिक संगठन के रूप में  
पंजीकृत हैं? यदि हां, तो पंजीकरण के ब्यौरे दें।  
पंजीकरण की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें । :
6. संघ के पदाधिकारियों के कार्यकाल सहित उनके  
नाम, पूर्ण पते व दूरभाष क्रमांक (कृपया यह सूचना  
एक अलग कागज पर लिखकर संलग्न करें) :
7. वर्तमान सदस्य संख्या :
8. आपके सदस्यों का औसत आयु वर्ग :

9. सदस्यों के वार्षिक शुल्क व आवृत्ति का विभाजन :

	प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों की संख्या	सदस्यता शुल्क की राशि	शुल्क वसूली की आवृत्ति (वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक)
एक व्यक्ति के लिए			
युगल के लिए			
आजीवन सदस्य के लिए			
माननीय सदस्यों के लिए			
अन्य श्रेणियां, अगर हों तो			
कुल			

10. कृपया उपर्युक्त सभी श्रेणियों के तहत सदस्यता कार्ड का नमूना संलग्न करें :

11. क्या आपके यहां अस्थाई सदस्यता की श्रेणी है ? यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरे दें :

12. क्या आप सदस्यों को उनके अतिथियों को लाने की अनुमति देते हैं ?  
यदि हां, तो उनके प्रवेश की शर्तें :

13. क्या फिल्म सोसायटी महासंघ अथवा अन्य किसी संघ या संस्था से संबद्ध हैं ? यदि हां, तो आपकी मूल संस्था का नाम, पता व अन्य ब्यौरे व अदा किया जाने वाला संबद्धता शुल्क, यदि कोई हो, तो कृपया ब्यौरे दें :

14. प्रदर्शन की आवृत्ति (माह में एक बार, माह में दो बार अथवा अधिक) :

15. वह मूल स्रोत जहां से आप साधारणतः फिल्में लेते हैं :
16. क्या आप इन फिल्मों के लिए कोई किराया सेवा प्रभार देते हैं या ये आपको निःशुल्क प्राप्त होती हैं :
17. आपके संघ/क्लब में दिखाई गई किसी फिल्म के लिए अदा गया गया अधिकतम किराया व वह किस फिल्म के लिए था :
18. 16 मिमी फिल्मों के प्रदर्शन का स्थान, थियेटर की क्षमता व प्रक्षेपकों के प्रकार :
19. 35 मिमी फिल्मों के प्रदर्शन का स्थान, थियेटर की क्षमता व प्रक्षेपकों के प्रकार (कृपया बनाएं कि थियेटर में दो 35 मिमी ध्वनि प्रक्षेपक हैं अथवा केवल एक 35 मिमी ध्वनि प्रक्षेपक है) :
20. हाल ही में आपके संघ/क्लब द्वारा प्रदर्शित फिल्मों की सूची। यदि सूची बहुत अधिक लंबी हो तो कृपया मुख्य नाम दें। (यदि जगह कम हो तो अलग कागज लगाएं) :
21. कृपया वह तारीख बताएं जब पिछली बार आपके खातों की लेखा परीक्षा की गई ? :
22. आपके खातों की लेखा परीक्षा विवरणी की एक अनुप्रमाणित

प्रति, अगर उपलब्ध हो तो संलग्न करें :

23. क्या आपके संघ/क्लब को:

स्थानीय निकाय/पंचायत/नगर निगम/

राज्य सरकार को कोई लाइसेंस शुल्क

देना पड़ता है ? अगर हां, तो उक्त

भुगतानों की राशि व आवधिकता :

### वचनपत्र अ

हम प्रमाणित करते हैं कि यह संस्था, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा हमें ऋण पर दी गई फिल्मों के प्रक्षेपण के लिए किसी प्रशिक्षित व अनुभवी प्रक्षेपकार को ही नियुक्त करेगी। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा -  
----- हमें ऋण पर दी गई फिल्मों को उपयोग में लाते समय पूरा ध्यान रखेंगे व हमारी अभिरक्षा में लापरवाही के कारण प्रिंट को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की स्थिति में खराब हिस्सों को बदलने का मूल्य संग्रहालय को लौटा कर नुकसान की भरपाई, अगर हो तो, करने के लिए सहमत हैं। किसी विवाद की स्थिति में, हम संग्रहालय के निर्णय का पालन करेंगे। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संग्रहालय वितरण लायब्रेरी से ली गई फिल्म/फिल्मों के प्रदर्शन हेतु कोई शुल्क न तो प्रवेश शुल्क के रूप में और न ही सदस्यता के बदले में लिया जाएगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर -----

(संघ के सचिव अथवा किसी

जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा

हस्ताक्षर किए जाएं)

## वचनपत्र ख

मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त आवेदन द्वारा दी गई सूचना सही है व अनुशंसा करता हूँ कि -----  
----- जो कि मेरे नियंत्रणाधीन हमारी संस्था से सम्बद्ध एक संस्था/फिल्म संघ है को -----अवधि के लिए संग्रहालय वितरण लायब्रेरी के गृहित सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है । यह संस्था संलग्न प्रपत्र में दिए अनुसार सदस्यता की शर्तों व नियमों का पालन करने का वचन देती है । किसी प्रकार के नुकसान की स्थिति में महासंघ/संघ/क्लब, गृहित सदस्यों से बदलने के मूल्य की वसूली करने का दायित्व लेते हेतु वचन देता है ।

दिनांक:

हस्ताक्षर -----

(वह मूल संस्था जिससे संबद्ध है /संघ के अध्यक्ष या सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं) जनसाधारण से ली गई सदस्यता वाले पंजीकृत फिल्म संघों की स्थिति में भारतीय फिल्म संघों का महासंघ मूल संस्था होती है।

(मूल संस्था/संघ की मुहर)